सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय मध्यप्रदेश
1250, तुलसीनगर, भोपाल- 462003
फोन-0755-2556916 फैक्स-2552665
ईमेल- **dpswbpl@nic.in**

अत्यंत महत्वपूर्ण

क्रं./सा.सहा./2018/ 1120 भोपाल, दिनांक28/06/2018

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
3. समस्त संयुक्त व उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग म.प्र.

विषय :- मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के क्रियान्वयन के संबंध में।

संदर्भ :- म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग का पत्र क्रं. एफ 3-5/2018/26-2 दिनांक 06/04/2018 एवं दिनांक 03/05/2018

कृपया विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। समसंख्यक पत्र दिनांक 06/04/2018 प्रदेश में निवासरत कल्याणी को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने व जीवन निर्वाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना' दिनांक 06/04/2018 से प्रांरभ की गई है। मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना की पात्रता शर्तो व क्रियान्वयन के संबंध में विस्तृत निर्देश संदर्भित पत्रों के माध्यम से जारी किये गये है।

2. मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना की समीक्षा व लाभांवित हितग्राहियों का डेटाबेस तैयार करने के लिये एन.आई.सी. म.प्र. के सहयोग से विवाह पोर्टल पर ऑनलाईन प्रणाली विकसित कराई गई है। ऑनलाईन प्रणाली के माध्यम से उक्त योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों को ऑनलाईन करना, आवेदनों का ऑनलाईन निराकरण व स्वीकृति आदेश जेनरेट किये जा सकते है, जिससे जिला व राज्य स्तर पर योजना की ऑनलाईन समीक्षा संभव हो सकेगी।

3. मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के ऑनलाईन क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जाये :-

3.1 आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में भरकर आवश्यक दस्तावेज को संलग्न कर जिला कार्यालय में जमा किया जायेगा।

3.2 संयुक्त / उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण द्वारा उनके जिलें में प्राप्त आवेदन को ऑनलाईन दर्ज किया जायेगा। किसी भी जिले का आवेदन पोर्टल पर दर्ज किया जा सकता है।

3.3 प्राप्त आवेदन को ऑनलाईन करने की प्रकिया निम्नानुसार है :-

- संयुक्त / उप संचालक स्पर्श पोर्टल हेतु उपलब्ध कराये गये यूजर की सहायता से विवाह पोर्टल पर लॉगईन करें।
- आवेदिका की 9 अंकों की समग्र आईडी दर्ज करें।
- प्रोफाइल का आवेदिका द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेज के आधार पर परीक्षण करें।
- आवेदिका के पति की 9 अंकों की समग्र आईडी दर्ज करें।
- आवेदिका व पति की पोर्टल पर दर्ज जानकारी का परीक्षण करें।
- आवेदिका व उसके पति की जानकारी सहीं पाये जाने पर आवेदन को रजिस्टरकरने हेतु सहमति दें अथवा यदि डेटा में किसी प्रकार के अपडेशन की आवश्यकता है, तो एस.पी.आर. पोर्टल पर डेटा अपडेशन करायें।
- आवेदिका का मोबाइल नम्बर, आधार नम्बर (उपलब्ध होने पर), व्यवसाय, वार्षिक आय, पति का आधार नम्बर (उपलब्ध होने पर), मोबाइल नम्बर इत्यादि की प्रविष्टि करें।

- पूर्ण जानकारी दर्ज करने के उपरांत आवेदन को Lock करें।
- बैंक पासबुक के आधार पर आवेदिका का बैंक ब्रांच का आई.एफ.एस. कोड व बचत खाता नम्बर सावधानी पूर्वक दर्ज करें।
- विवाह संबंधी जानकारी जैसे विवाह की दिनांक, विवाह स्थान, विवाह प्रमाण पत्र की दिनांक, विवाह प्रमाण पत्र का क्रंमांक, जारीकर्ता अधिकारी का नाम व पदनाम दर्ज करें।
- संयुक्त फोटो (आवेदिका व उसके पति) का अपलोड करें।
- आवेदन को रजिस्टर करें।

3.4 आवेदन को स्वीकृत कर स्वीकृति आदेश जेनरेट करने की प्रकिया निम्नानुसार है :-

- कार्यालय में प्राप्त आवेदन का शासन द्वारा निर्धारित प्रकिया का पालन कर स्वीकृति व अस्वीकृति की कार्यवाही करें।
- स्वीकृति व अस्वीकृति के संबंध में गठित समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार पोर्टल पर स्वीकृति अथवा अस्वीकृति आदेश जेनरेट करें।
- पोर्टल के माध्यम से जेनरेट स्वीकृति व अस्वीकृति आदेश को प्रिंट कर पदाभिहित अधिकारी से हस्ताक्षर कराकर आदेश को आवेदक की नस्ती में सुरक्षित रखें व एक प्रति आवेदक को भी उपलब्ध कराएं।

उपरोक्तानुसार प्रक्रिया (यूजर मैन्यूअल परिशिष्ट-अ पर संलग्न) का पालन कर मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना हेतु प्राप्त आवेदनों का परीक्षण उपरांत स्वीकृति / अस्वीकृति आदेश पोर्टल के माध्यम से जेनरेट किये जाये, जिससे जिला व राज्य स्तर पर योजना के क्रियान्वयन की ऑनलाईन समीक्षा संभव हो ।

(कृष्ण गोपाल तिवारी)
संचालक,
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण म.प्र.

पृ.क्र./सा.सहा./2018/ 1121
भोपाल, दिनांक 28/06/2018

प्रतिलिपी:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण म.प्र.की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री सुनील जैन, वरिष्ठ तकनीकी संचालक, एन.आई.सी. म.प्र., की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. समस्त समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी, की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संचालक,
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण म.प्र.

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना

User Manual of CM Kalyani Vivah Sahayta Scheme

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना

प्रदेश शासन द्‌वारा कल्याणी-विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना प्रारंभ की गई है।

विस्तृत निर्देश पत्र क्रं. एफ 3-5/2018/26-2 दिनांक 06/04/2018 एवं दिनांक 03/05/2018 के माध्यम से जारी किये गये।

पात्रता के मापदंड

- कल्याणी मध्यप्रदेश की मूल निवासी हो,
- न्यूनतम आयु 18 वर्ष या अधिक हो,
- आयकरदाता न हो,
- शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो
- कल्याणी परिवार पेंशन प्राप्त न कर रही हो,

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना हेतु ऑनलाईन प्रणाली

- मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना हेतु स्वीकृति की प्रकिया ऑनलाईन प्रणाली विवाह पोर्टल पर विकसित की गई है।
- संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण कार्यालयों में प्राप्त आवेदनों को विवाह पोर्टल पर ऑनलाईन करने की प्रक्रिया
  - आवेदिका की 9 अंकों की समग्र आईडी दर्ज करें
  - प्रोफाइल का आवेदिका द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेज के आधार पर परीक्षण करें
  - आवेदिका के पति की 9 अंकों की समग्र आईडी दर्ज करें
  - आवेदिका व पति की पोर्टल पर दर्ज जानकारी का परीक्षण करने के उपरांत जानकारी सहीं पाये जाने वाले आवेदन की कार्यवाही करें, यदि डेटा में किसी प्रकार के अपडेशन की आवश्यकता है, तो डेटा अपडेशन करायें
  - आवेदिका का मोबाइल नम्बर, आधार नम्बर (उपलब्ध होने पर), व्यवसाय, वार्षिक आय, पति का आधार नम्बर (उपलब्ध होने पर), मोबाइल नम्बर इत्यादि की प्रविष्टि करें।
  - पूर्ण जानकारी दर्ज करने के उपरांत आवेदन को Lock करें
  - आवेदिका का आई.एफ.एस. कोड व बचत खाता नम्बर दर्ज करें
  - विवाह संबंधी जानकारी जैसे विवाह की दिनांक, विवाह स्थान, विवाह प्रमाण पत्र की दिनांक, विवाह प्रमाण पत्र का क्रंमांक, जारीकर्ता अधिकारी का पदनाम व संयुक्त फोटो (आवेदिका व उसके पति) का अपलोड करें
  - आवेदन को रजिस्टर करें।

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना हेतु ऑनलाईन प्रणाली

संयुक्त / उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण द्वारा विवाह पोर्टल पर उनके यूजर से लॉगईन किया जाये।

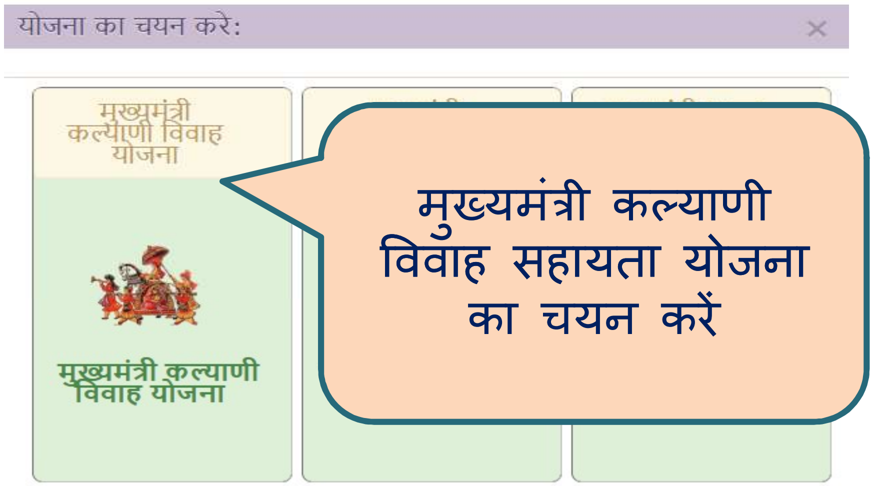

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना हेतु ऑनलाईन प्रणाली

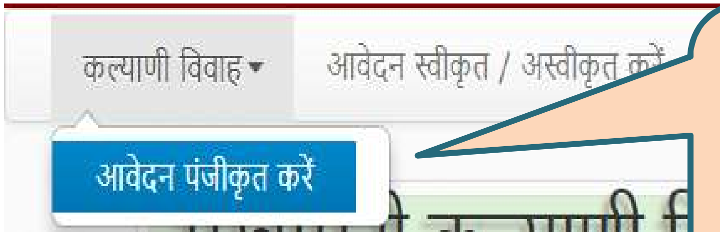

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता हेतु आवेदन को पंजीकृत करने हेतु क्लिक करें

कल्याणी की 9 अंकों की समग्र आईडी दर्ज करें

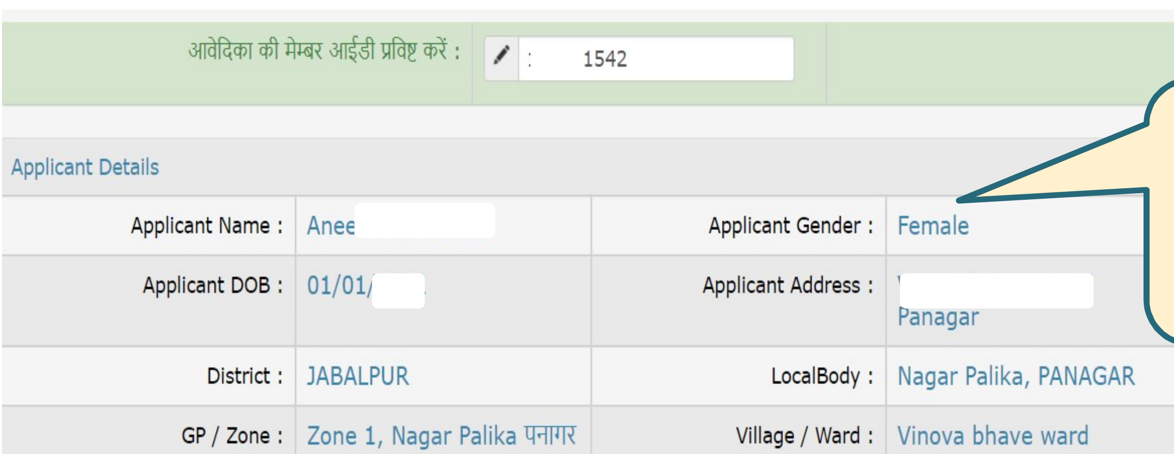

कल्याणी की प्रोफाइल देखें व दस्तावेज की जानकारी से मिलान करें

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना हेतु ऑनलाईन प्रणाली

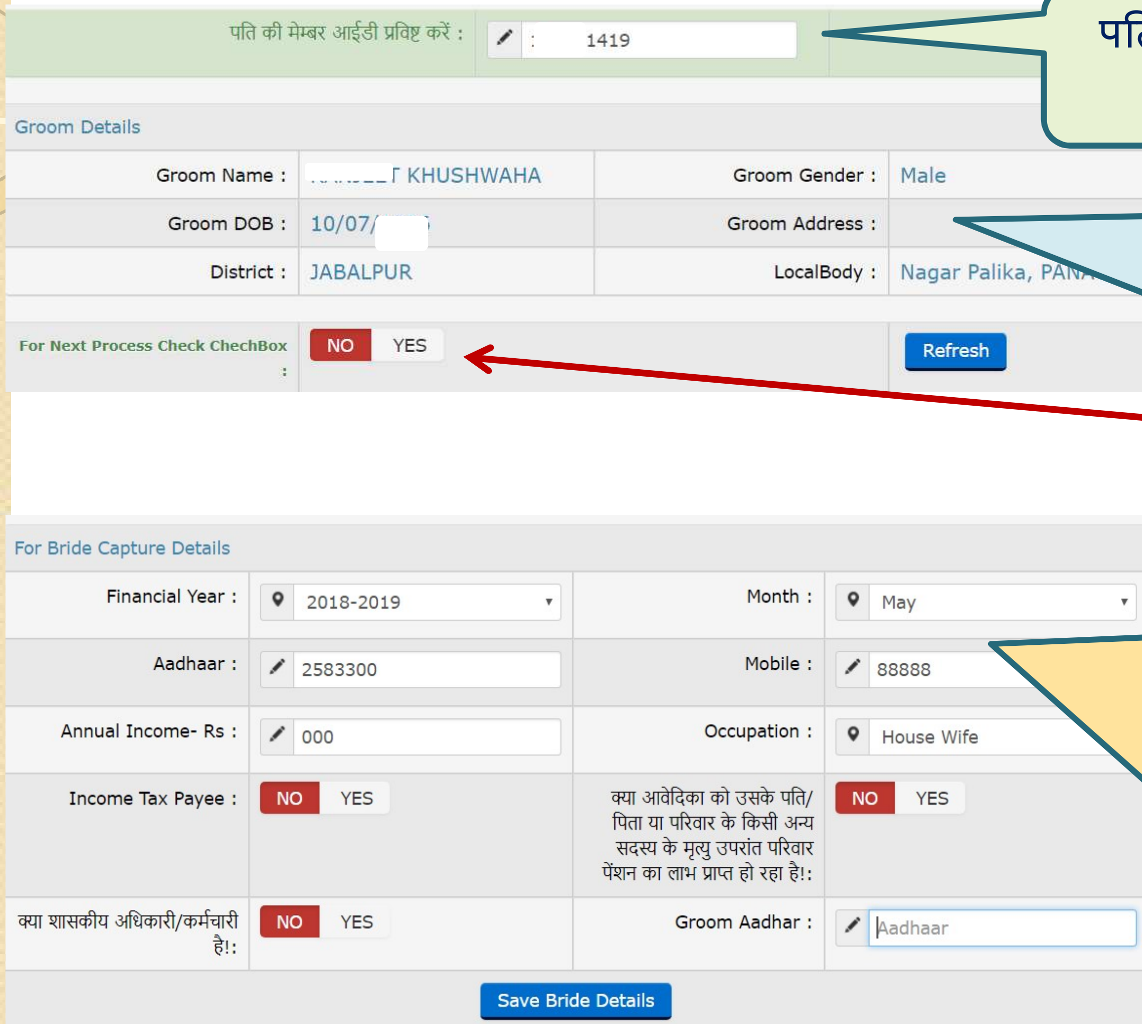

पति की 9 अंकों की समग्र आईडी दर्ज करें

कल्याणी की प्रोफाइल देखें व दस्तावेज की जानकारी से मिलान करें व सहमत होने पर Next Process के लिये YES करें

कल्याणी की अन्य जानकारी जैसे आधार नम्बर, मोबाइल नम्बर, वार्षिक आय, व्यवसाय, आयकरदाता है अथवा नहीं, परिवार पेंशन प्राप्त हो रही है अथवा नहीं, शासकीय अधिकारी/कर्मचारी है अथवा नहीं की जानकारी को सावधानीपूर्वक दर्ज करें।

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना हेतु ऑनलाईन प्रणाली

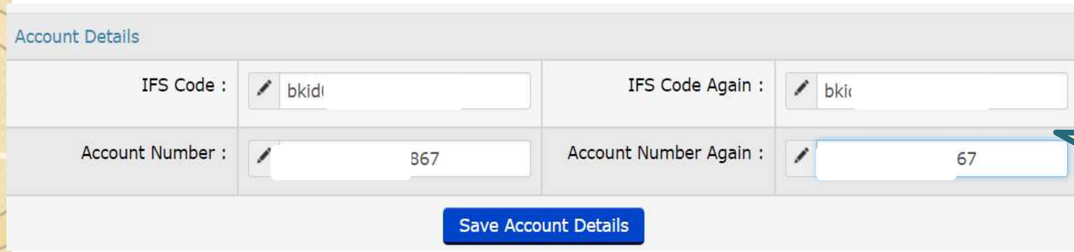

आवेदिका की बैंक पासबुक के आधार पर IFS Code and Account Number को सावधानीपर्वूक दर्ज करें।

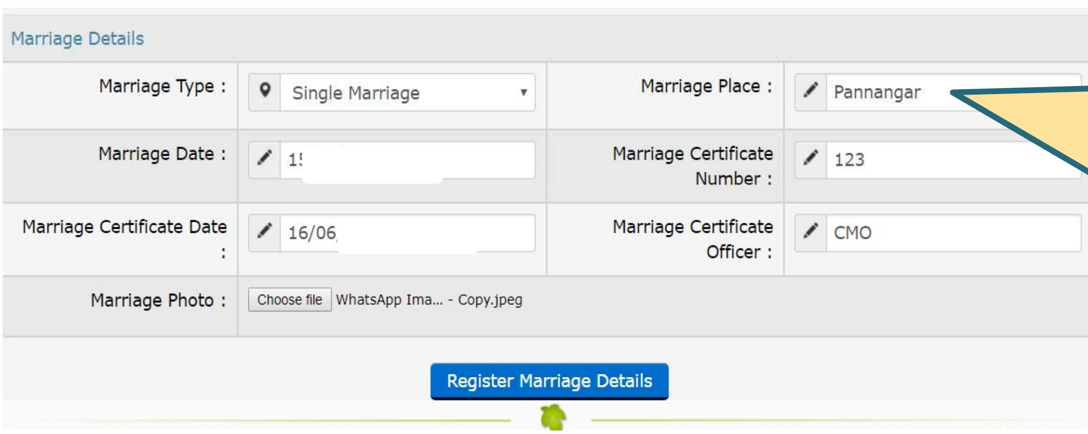

विवाह की जानकारी जैसे विवाह का स्थान, विवाह दिनांक, विवाह प्रमाण पत्र का नम्बर, विवाह प्रमाण पत्र की दिनांक, जारीकर्ता अधिकारी एवं आवेदिका व उसके पति का संयुक्त फोटो को अपलोड कर आवेदन को रजिस्ट करें।

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना हेतु ऑनलाईन प्रणाली

- एवं नि:शक्तजन कल्याण कार्यालयों में प्राप्त आवेदनों को विवाह पोर्टल पर स्वीकृत करने की प्रक्रिया

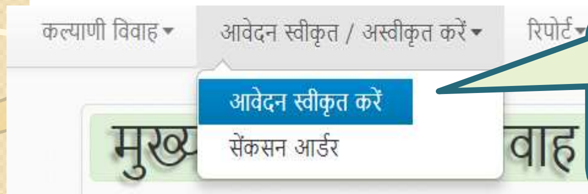

ऑनलाईन दर्ज किये आवेदन को स्वीकृत / अस्वीकृत करने हेतु कार्यवाही करें

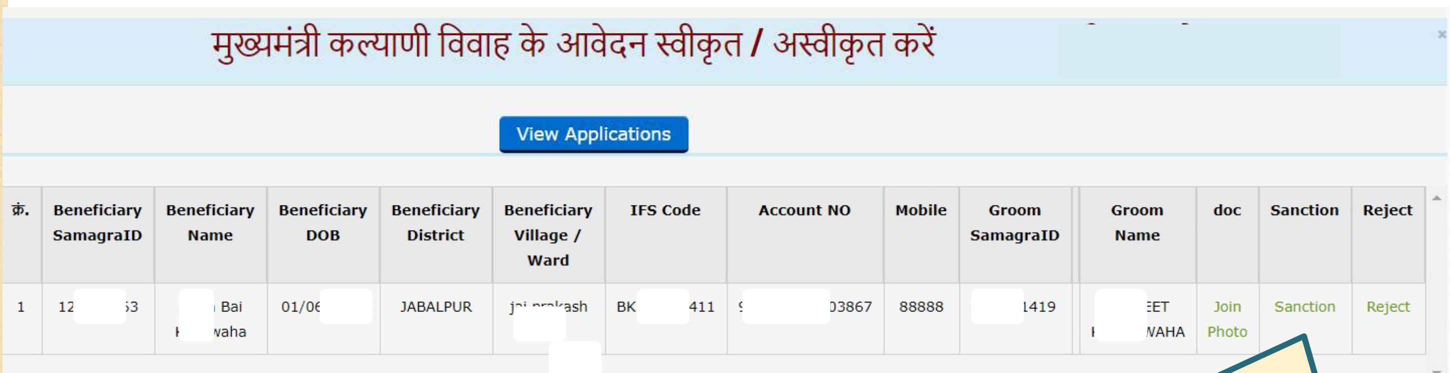

क्र.	Beneficiary SamagraID	Beneficiary Name	Beneficiary DOB	Beneficiary District	Beneficiary Village / Ward	IFS Code	Account NO	Mobile	Groom SamagraID	Groom Name	doc	Sanction	Reject
1	12 53	Bai waha	01/06	JABALPUR	ash	BK 411	03867	88888	1419	EET WAHA	Join Photo	Sanction	Reject

दस्तावेज के आधार पर परीक्षण व समिति की अनुशंसा के उपरांत स्वीकृति अथवा अस्वीकृति की कार्यवाही की जाये।

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना हेतु ऑनलाईन प्रणाली

- एवं नि:शक्तजन कल्याण कार्यालयों में प्राप्त आवेदनों को विवाह पोर्टल पर स्वीकृत करने की प्रक्रिया

स्वीकृति आदेश को डाउनलोड करें

Generate Sanction Order

Get Sanctioned Applications

क्र.	Beneficiary SamagraID	Beneficiary Name	Beneficiary DOB	Beneficiary District	Beneficiary Village / Ward	IFS Code	Account NO	Mobile	Groom SamagraID	Groom Name	Generate sanction order
1	12[illegible]53	[illegible]ai [illegible]ha	01/[illegible]0	JABALPUR	j[illegible]ash	BK[illegible]411	[illegible]03867	88888	[illegible]1419	[illegible]ET K[illegible]AHA	Generate sanction order

Generate Sanction Order पर क्लिक करें स्वीकृति आदेश को जेनरेट व डाउनलोड करने के लिये

स्वीकृति आदेश

	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग	
	जिला : जबलपुर (म. प्र.)	
	मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत स्वीकृति आदेश	
पंजीयन क्रमांक : 1000003	आवेदन दिनाँक : 23/06/2018	स्वीकृति दिनांक : 23/06/2018

आवेदिका का नाम :	' ्शवाहा		
लिंग :	FEMALE		
आयु :	: /06/1980)		
आई एफ एस सी कोड :	BKID		
बचत खाता नम्बर :	94		
पता :	जबलपुर , नगर पालिका, पनागर		
पति का नाम :	रज		
लिंग :	MALE	आयु :	21
विवाह दिनाँक :	15/06/2	विवाह स्थान :	Pannangar

उपरोक्त आवेदिका हेतु कल्याणी विवाह योजना के अंतर्गत कल्याणी विवाह सहायता राशि उसके बचत खाते में भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है| नव दंपत्ति के सुखमय जीवन एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना करते है|

स्थान :		**हस्ताक्षर व सील**
दिनाँक :		**कलेक्टर**
		जिला जबलपुर मध्यप्रदेश

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त , सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण भोपाल
2. श्री मति अ ्ावाहा की और सूचनार्थ
3. कार्यालयीन प्रति

धन्यवाद

किसी प्रकार की तकनीकी समस्या होने पर संचालनालय के ई-मेल आईडी पर विस्तृत जानकारी सहित ई-मेल करें